सं. के-14012/101(6)/2015-एससीएम-III-V

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

स्मार्ट सिटीज प्रभाग-III

****

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 17 मार्च, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषयः व्यक्तिगत क्षमता निर्माण-प्रशिक्षण संस्थाओं का पैनल

शहरी महत्वपूर्ण मिशनों (अमृत, स्मार्ट सिटी, हृदय, एसबीएम आदि) को दक्ष रूप से पूरा करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों, राज्यों और अन्य हितधारकों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए, शहरी विकास मंत्रालय (शहरी विकास मंत्रालय) ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम के निष्पादन हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं का पैनल बनाया है।

2. पैनल की प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के उद्देश्यों का आकलन स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए) द्वारा किया जाएगा, जो क्षमता निर्माण में शहरी विकास मंत्रालय का कार्यनीतिक भागीदार है। एनआईयूए प्रशिक्षण मॉड्यूल संबंधी सूचार का प्रसार करने, प्रशिक्षण की प्रगति की निगरानी करने, और प्रत्येक प्रशिक्षण अवधि पूरी होने के बाद प्रशिक्षण के लाभों का मूल्यांकन करने में शामिल होगा।

3. पहले, शहरी विकास मंत्रालय ने इस कार्यालय के तारीख 2 नवंबर, 2015 के सम संख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा यूएलबी कार्यकारियों के लिए व्यक्तिगत क्षमता निर्माण करने हेतु 9 (नौ) प्रशिक्षण संस्थाओं के एक पैनल को शार्टलिस्ट किया था। उपर्युक्त के साथ-साथ, शहरी विकास मंत्रालय ने 14 (चौदह) अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थाओं को शार्टलिस्ट किया है। उनकी कार्यक्षेत्र विशेषज्ञता के साथ शार्टलिस्ट की गई प्रशिक्षण संस्थाओं की सूची और संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों के ब्यौरे संलग्न हैं और www.smartcities.gov.in→Downloads→OMs पर उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मौजूदा नियमों के अनुसार 23 प्रशिक्षण संस्थाओं के पैनल के आधार पर कार्यक्रम तैयार कर सकेंगे और यथा शीघ्र प्रशिक्षण प्रदान करना शुरू कर सकेंगे। राज्य सरकार और पैनल की प्रशिक्षण संस्था के बीच निष्पादित होने वाले समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रति भी संलग्न है। व्यक्तिगत क्षमता निर्माण योजना का कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक निधियां

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त शहरी विकास मंत्रालय की चल रही शहरी विकास के लिए क्षमता निर्माण (सीबीयूडी) परियोजना से उपलब्ध कराई जाएंगी।

17/3/2016

(जी. विजय कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं.: 23063217

सेवा में,

(1) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिव (शहरी विकास)

(2) निदेशक, एनआईयूए, पहली तथा दूसरी मंजिल, कोर 4बी, इंडिया हैबीटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-3

प्रतिलिपिः

(1) स्मार्ट सिटीज/अमृत सिटीज के सभी नगरपालिका आयुक्त।

(2) प्रशिक्षण संस्थाओं के अनुबंध व्यक्ति।

सं. के-14012/101(6)/2015-एससीएम-III-V

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

स्मार्ट सिटीज प्रभाग-III

****

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 2 नवम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषयः व्यक्तिगत क्षमता निर्माण - प्रशिक्षण संस्थाओं का पैनल

अमृत मार्गनिर्देशों के पैरा 13.2 के अनुसार, व्यक्तिगत क्षमता निर्माण की मुख्य विशेषताएं मांग आधारित सावधिक प्रशिक्षण, परिपाटियों और कार्यकारियों की मान्यता, प्रशिक्षण निष्कर्षों का स्वतंत्र आकलन, परामर्श देना और अभिजातों का संपर्क स्थापित करना है। व्यक्तिगत क्षमता निर्माण में निम्नलिखित प्रकार के कार्यकलाप शामिल होंगे।

i. प्रशिक्षण आवश्यकता अवलोकन (टीएनए) आधारित कार्यनीतिक प्रशिक्षण योजना।
ii. प्रकटन दौरे।
iii. कार्यशालाए, संगोष्ठी, अनुसंधान अध्ययन और प्रलेखन।
iv. कोचिंग पर ध्यान केंद्र करते हुए व्यक्तिगत क्षमता निर्माण और अभिजातों और परामर्शदाताओं से कार्य-संबंधी सहायता।
v. सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री तैयार करने सहित सुस्पष्टता।

2. प्रशिक्षण आवश्यकता अवलोकन (टीएनए) के आधार पर, (i) वित्त और राजस्व (ii) अभियांत्रिकी और जन स्वास्थ्य (iii) नगर नियोजन और (iv) यूएलबी के प्रशासनिक विभागों पर ध्यान केंद्रित होगा। यूएलबी प्रत्येक वर्ष चार विभागों से कम से कम 30 कार्यकारियों और चुनेगा और सभी प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाएगा। चयनित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण संस्थाओं में एक बार प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें भारत में सर्वोत्तम परिपाटियों से सीखने के लिए कार्य स्थल का दौरा शामिल होगा। प्रशिक्षण तीन भागों में दिया जाएगा, जिनकी कुल अवधि एक वर्ष होगी। प्रत्येक भाग में प्रशिक्षण संस्था में तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसके बाद चार माह के दौरान उनके प्रशिक्षण को प्रयोग नगरपालिका कार्यकारियों द्वारा उनके कार्य में किया जाएगा। इसलिए, एक वर्ष की अवधि के दौरान, किसी नगरपालिका कार्यकारियों को प्रशिक्षण संस्थान में नौ (9) दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।

3. पैनल की प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा और प्रशिक्षण के उद्देश्यों का आकलन स्वतंत्र रूप से एनआईयूए द्वारा किया जाएगा, जो क्षमता निर्माण में शहरी विकास मंत्रालय का कार्यनीतिक भागीदार है। एनआईयूए प्रशिक्षण मॉड्यूल संबंधी सूचार का प्रसार करने, सर्वोत्तम परिपाटियों के दस्तावेज तैयार करने, प्रशिक्षण की प्रगति की निगरानी करने, और प्रत्येक प्रशिक्षण अवधि पूरी होने के बाद प्रशिक्षण के लाभों का मूल्यांकन करने में शामिल होगा।

4. तदनुसार, शहरी विकास मंत्रालय ने उपर्युक्त उल्लिखित कार्यकलापों के संबंध में यूएलबी कार्यकारियों के लिए व्यक्तिगत क्षमता निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं के पैनल को शार्टलिस्ट किया है और शार्टलिस्ट की गई प्रशिक्षण संस्थाओं की विषय-वार सूची संलग्न है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मौजूदा नियमों के अनुसार पैनल के आधार पर कार्यक्रम तैयार कर सकेंगे और यथा शीघ्र प्रशिक्षण प्रदान करना शुरू कर सकेंगे। राज्य सरकार और प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच निष्पादित होने वाली संविदा की प्रति सीबीयूडी के माध्यम से निधियन के लिए शहरी विकास मंत्रालय को भेजी जाए।

(जी. विजय कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं.: 23063217

सेवा में,

(1) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिव (शहरी विकास)

(2) निदेशक, एनआईयूए, पहली तथा दूसरी मंजिल, कोर 4बी, इंडिया हैबीटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली, भारत सरकार

<u>प्रशिक्षण संस्थाओं की विषय-वार सूची</u>

क्र.सं.	प्रशिक्षण इकाई	विषय क्षेत्र
1	**क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र (आरसीयूईएस), लखनऊ** संपर्क व्यक्तिः डॉ निशीथ राय, निदेशक, आरसीयूईएस, रजिस्ट्रार ऑफिस के निकट, लखनऊ यूनिवर्सिटी कैम्पस, लखनऊ-226007 फोनः 0522 2740165	• वित्त एवं राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • नगर नियोजन • प्रशासन
2	**इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशियल प्लानिंग एंड एनवायरनमेंट रिसर्च (आईएसपीईआर), पंचकुला।** संपर्क व्यक्तिः श्री के सुरजीत सिंह, महासचिव, आईएसपीईआर, सी-1, अमरावती एन्कलेव, पी.ओ. अमरावती एंकलेव, पंचकुला, हरियाणा- 134105 फोनः 01733-261939, 9215014411	• नगर नियोजन
3	**सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, हैदराबाद** संपर्क व्यक्तिः श्री शब्बीर शेख, निदेशक (शासन और शहरी समूह), सीजीजी, रोड नं. 25, जुबली हिल्स, हैदराबाद- 5300033 फोनः 040-23541907/09	• वित्त एवं राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • प्रशासन
4	**ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट (एआईएलएसजी), मुम्बई** संपर्क व्यक्तिः श्री रामानाथ झा, महानिदेशक, प्लॉट नं. - 6 "एफ" ब्लॉक, टीपीएस रोड नं. - 12, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई - 400051 फोनः 022-26571713, 26571714, 26571715	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • प्रशासन
5	**डॉ. एमसीआर मानव संसाधन विकास संस्थान, हैदराबाद।** संपर्क व्यक्तिः श्री विनोद के. अग्रवाल,	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • नगर नियोजन

	महानिदेशक, डॉ. एमसीआर एचआरडी संस्थान, रोड नं. 25, जुबली हिल्स, हैदराबाद 5300033 फोन: 040-23548294, 23557584	• प्रशासन
6	**सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली।** संपर्क व्यक्तिः डॉ सुरेश कुमार रोहिल्ला, कार्यक्रम निदेशक, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, 41 तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110062 फोन: 011-24645334, 24645335	• अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • नगर नियोजन
7	**भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद** संपर्क व्यक्तिः प्रो वी.एस. चारी, निदेशक, सेंटर फॉर एनर्जी, पर्यावरण, शहरी शासन एवं अवसंरचना विकास, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, बेल्ला विस्टा, हैदराबाद-500082 फोन: 040-66534221	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • नगर नियोजन • प्रशासन
8	**भारतीय मानव बस्ती संस्थान (आईआईएचएस), बंगलौर** संपर्क व्यक्तिः श्री अरोमार रेवी, निदेशक, आईआईएचएस बंगलौर सिटी कैम्पसः सं. 197/36, दूसरी मुख्य सड़क, सदाशिव नगर, बंगलौर 570080 फोन: 8067606666	• नगर नियोजन • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य
9	**पर्यावरण और विकास केंद्र, तिरुवनंतपुरम** संपर्क व्यक्तिः श्री बाबू अम्बाट, कार्यकारी निदेशक, पर्यावरण और विकास केंद्र, वट्टियूरकाव पी.ओ. तिरूवनंतपुरम - 695013 फोन: 0471-2369721/2369722	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • प्रशासन

<u>प्रशिक्षण संस्थाओं की विषय-वार सूची</u>

क्र.सं.	प्रशिक्षण इकाई	विषय क्षेत्र
1	**क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र (आरसीयूईएस), लखनऊ** संपर्क व्यक्तिः डॉ निशीथ राय, निदेशक, आरसीयूईएस, रजिस्ट्रार ऑफिस के निकट, लखनऊ यूनिवर्सिटी कैम्पस, लखनऊ-226007 फोन: 0522 2740165	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • नगर नियोजन • प्रशासन
2	**इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशियल प्लानिग एंड एन्वायरनमेंट रिर्सच (आईएसपीईआर), पंचकुला** संपर्क व्यक्तिः श्री के सुरजीत सिंह, महासचिव, आईएसपीईआर, सी-1, अमरावती एंकलेव, पी.ओ अमरावती एंकलेव, पंचकुला, हरियाणा-134105 फोन: 01733-261939, 9215014411	• नगर नियोजन
3	**सेंटर फॉर गुड गवर्नेस, हैदराबाद** संपर्क व्यक्तिः श्री शब्बीर शेख, निदेशक (शासन और शहरी समूह), सीजीजी, रोड नं. 25, जुबली हिल्स, हैदराबाद - 5300033 फोनः 040-23541907/09	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • प्रशासन
4	**ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट (एआईएलएसजी), मुम्बई।** संपर्क व्यक्तिः श्री रामानाथ झा, महानिदेशक, प्लॉट नं. 6 "एफ" ब्लॉक, टीपीएस रोड नं.-12, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई - 400051 फोन: 022- 26571713, 26571714, 26571715	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • प्रशासन
5	**डॉ एमसीआर मानव संसाधन विकास संस्थान, हैदराबाद।** संपर्क व्यक्तिः श्री विनोद के. अग्रवाल, महानिदेशक, डॉ एमसीआर मानव संसाधन विकास संस्थान, रोड	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • नगर नियोजन • प्रशासन

क्र.सं.	प्रशिक्षण इकाई	विषय क्षेत्र
	नं. 25, जुबली हिल्स, हैदराबाद-5300033 फ़ोनः 040 - 23548294, 23557584	
6	**सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली।** संपर्क व्यक्तिः डॉ सुरेश कुमार रोहिल्ला, कार्यक्रम निदेशक, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, 41 तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110062, फोनः 011 24645334, 24645335	• अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • नगर नियोजन
7	**भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद** संपर्क व्यक्तिः प्रो वी.एस. चारी, निदेशक, सेंटर फॉर एनर्जी, पर्यावरण, शहरी शासन एवं अवसंरचना विकास, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, बेल्ला विस्टा, हैदराबाद-500082 फोन: 040-66534221	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • नगर नियोजन • प्रशासन
8	**भारतीय मानव बस्ती संस्थान (आईआईएचएस), बंगलौर** संपर्क व्यक्तिः श्री अरोमार रेवी, निदेशक, आईआईएचएस बंगलौर सिटी कैम्पसः सं. 197/36, दूसरी मुख्य सड़क, सदाशिव नगर, बंगलौर 570080 फोनः 8067606666	• नगर नियोजन • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य
9	**पर्यावरण और विकास केंद्र, तिरुवनंतपुरम** संपर्क व्यक्तिः श्री बाबू अम्बाट, कार्यकारी निदेशक, पर्यावरण और विकास केंद्र, वट्टियूरकाव पी.ओ. तिरूवनंतपुरम - 695013 फोन: 0471-2369721/2369722	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • प्रशासन
10	**क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र (आरसीयूईएस), हैदराबाद** संपर्क व्यक्तिः प्रो ई. सुरेश कुमार, रजिस्ट्रार और निदेशक प्रभारी, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500007, तेलंगाना	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • नगर नियोजन • प्रशासन

क्र.सं.	प्रशिक्षण इकाई	विषय क्षेत्र
	फोनः 040-27098494, 2709321, 27682254	
11	**भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली** संपर्क व्यक्तिः डॉ तिष्यरक्षित चटर्जी, निदेशक, रिंग रोड, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 फोनः 011-23702434	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • नगर नियोजन • प्रशासन
12	**भारतीय इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज (ईएससीआई), हैदराबाद** संपर्क व्यक्तिः डॉ डी.एन. रेड्डी, उपाध्यक्ष, संचालन परिषद एवं निदेशक, ओल्ड बॉम्बे रोड, गाची बावली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना फोनः 040-66304100	• अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • नगर नियोजन
13	**प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, पश्चिम बंगाल सरकार** संपर्क व्यक्तिः श्री मणिक लाल मैत्रा, संयुक्त निदेशक, एफसी ब्लॉक, सेक्टर III, साल्ट लेक, कोलकाता-700106, पश्चिम बंगाल फोनः 033-23373960, 23410109	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • नगर नियोजन • प्रशासन
14	**सीएसआईआर-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर** संपर्क व्यक्तिः डॉ पवन लाभासेतवर, वैज्ञानिक और प्रमुख, डब्ल्यूटीएम प्रभाग, नागपुर-440020 फोनः 0712-2249756	• अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य
15	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की** संपर्क व्यक्तिः प्रो मनोरंजन परिदा, अधिष्ठाता, प्रायोजित अनुसंधान और औद्योगिक कंसल्टेंसी, रुड़की-247667, उत्तराखंड फोनः 1332-285245, 285448	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • नगर नियोजन
16	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर** संपर्क व्यक्तिः प्रो सुब्रत चट्टोपाध्याय, प्रमुख,	• अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • नगर नियोजन

क्र.सं.	प्रशिक्षण इकाई	विषय क्षेत्र
	वास्तुकला और क्षेत्रीय योजना विभाग, खड़गपुर-721302, पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल फोनः 03222-282245	
17	**यशवंतराव चाव्हाण अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यशादा), पुणे** संपर्क व्यक्तिः सुनील धाप्टे, निदेशक, शहरी विकास राज्य संस्थान (एसआईयूडी), राजभवन परिसर, बानेर रोड, पुणे-411007, महाराष्ट्र फोनः 020-25608000, 25608210, 25608357, 25608145	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • नगर नियोजन • प्रशासन
18	**इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट (आईएमजी), तिरुवनंतपुरम** संपर्क व्यक्तिः श्री पी. के. मोहंती, महानिदेशक, विकास भवन (पी.ओ.), तिरुवनंतपुरम-695033, केरल फोनः 0471-2304229	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • प्रशासन
19	**एचसीएम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर** संपर्क व्यक्तिः श्री गुरजोत कौर, महानिदेशक, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017, राजस्थान फोनः 0141-2706556, 5162531	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • नगर नियोजन • प्रशासन
20	**केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (केआईएलए), त्रिशूर** संपर्क व्यक्तिः डॉ पी.पी. बालन, निदेशक, मुलमकुंनत्तुकाव पी.ओ., त्रिशूर-680581, केरल फोनः 0487-2201312, 2207000	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • प्रशासन
21	**इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईआईईएसटी) शिबपुर** संपर्क व्यक्तिः डॉ सौवानिक रॉय, प्रोफेसर और	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • नगर नियोजन

क्र.सं.	प्रशिक्षण इकाई	विषय क्षेत्र
	संस्थापक निदेशक, स्कूल ऑफ इकोलॉजी, बुनियादी ढांचा और मानव बस्ती प्रबंधन (एसईआईएचएसएम), हावड़ा-71 11 03, पश्चिम बंगाल फोनः 033-26684561 (एक्सटेंशन-401)	• प्रशासन
22	**प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर** संपर्क व्यक्तिः श्री वेंकटेश कडगडकई जी., निदेशक, शहरी विकास के राज्य संस्थान, ललिता महल रोड, मैसूर-570011, कर्नाटक फोनः 0821-2443264, 2443863, 2443831, 2522142	• वित्त तथा राजस्व • अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य • नगर नियोजन • प्रशासन
23	**विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) भारत** संपर्क व्यक्तिः सुश्री अनुपमा सिवान, मुख्य-कार्यक्रम कार्यालय, डब्ल्यूआरआई भारत, पहली मंजिल, गोदरेज एंड बॉयसी परिसर, गैसवर्क लेन, लालबाग, परेल, मुंबई-400012, महाराष्ट्र फोनः 022-24713565	• नगर नियोजन

जि. विजय कुमार/G.VIJAY KUMAR
अवर सचिव/Under Secretary
शहरी विकास मंत्रालय
Ministry of Urban Development
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

समझौता ज्ञापन

__________________ राज्य सरकार

तथा

____

(प्रशिक्षण संस्था का नाम)

के बीच

1. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार (यहां के आगे एमओयूडी लिखा जाएगा), ने देश भर के 500 शहरों में शहरी सेवाएं प्रदान करने के लिए अटल मिशन फार रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) योजना का आरंभ किया है। यह मिशन क्षमता निर्माण को एक आवश्यक घटक के रूप में मान्यता देता है तथा इस उद्देश्य के लिए वित्तीय तथा गैर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
2. अमृत मिशन के अंग के रूप में <राज्य का नाम> की राज्य सरकार, (यहां के बाद राज्य लिखा जाएगा), शहरों के चुने हुए प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को इस मिशन के अंतर्गत उल्लेखित विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु उनकी क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है जिनके अंतर्गत निम्न विभाग/क्षेत्र तथा विषय <उपयुक्त का नाम लिखें> पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है:
    - वित्त एवं राजस्वः राजस्व, लेखा, वित्त और बाजार/ कर विभाग
    - अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्यः लोक निर्माण/वाटर वर्क्स/स्ट्रीट लाइटिंग, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बागवानी और उद्यान विभाग
    - नगर नियोजनः नगर नियोजन, भवन और शहर सर्वेक्षण, अतिक्रमण और लाइसेंस विभाग
    - प्रशासनः प्रशासन, स्थापना, कानून, पट्टे, जनसंपर्क, रिकार्ड रूम, कंप्यूटर विभाग
3. वैयक्तिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम के संचालन के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था विश्व

बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एमओयूडी की जारी परियोजना, शहरी विकास हेतु क्षमता निर्माण (सीबीयूडी) परियोजना के माध्यम से की जाएगी;

4. वैयक्तिक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रमों को शहरी विकास हेतु क्षमता निर्माण (सीबीयूडी) परियोजना (www.smartcities.gov.in पर देखा जा सकता है) के अंतर्गत संचालित होने वाले प्रशिक्षण आवश्यकता अवलोकन और सामरिक प्रशिक्षण योजना के साथ पंक्तिबद्ध किया जाएगा;

5. इस मिशन के अंतर्गत राज्य अपनी विशिष्ट जरूरतों के अनुसार वैयक्तिक क्षमता निर्माण गतिविधियों के संचालन के लिए एमओयूडी सूचीबद्ध एक या अधिक प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर सकते हैं;

6. राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली (यहां के बाद एनआईयूए लिखा जाएगा) क्षमता निर्माण में एमओयूडी के रणनीतिक साझीदार है तथा अमृत मिशन के अंतर्गत क्षमता निर्माण में सिंगल विंडो सेवाएं प्रदान करेगा।

7. उसी प्रकार से राज्य ने <प्रशिक्षण संस्था का नाम> से निम्न विषय क्षेत्रों (एमओयूडी की विषयवार सूची में सूचीबद्धता के आधार पर), जैसा कि समझौता ज्ञापन में परिभाषित किया गया है <निम्न एमओयूडी सूचीबद्धता के आधार पर चार विकल्पों में से चुनें>, में वैयक्तिक क्षमता निर्माण सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है:

    - वित्त एवं राजस्व
    - अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य:
    - नगर नियोजन
    - प्रशासन प्रबंध

8. अमृत मिशन (यहां के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम लिखा जाएगा) के अंतर्गत वैयक्तिक क्षमता निर्माण के क्रियान्वयन हेतु संबंधित भूमिकाओं व दायित्वों को स्पष्ट करने के लिए, राज्य तथा प्रशिक्षण संस्था ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित करने का निर्णय लिया तथा निम्न बिन्दुओं पर सहमत हुए:

9. प्रशिक्षण संस्था निम्न बिन्दुओं को समाहित करने पर सहमत हुए:

   (क) **प्रशिक्षण कार्यक्रम का डिजाइन तैयार करना**

   i. प्रशिक्षण संस्था प्रशिक्षणार्थियों के स्व-मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा उनके ज्ञान व

उनकी जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेगी। इस उद्देश्य के लिए सीबीयूडी परियोजना के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण आवश्यकता अवलोकन हेतु प्रश्नोत्तरी का उपयोग किया जाएगा (www.jnnurm.nic.in पर देखा जा सकता है)। स्व-मूल्यांकन की प्रक्रिया निम्न अनुच्छेद 9.बी (i) में उल्लेखित पहले कैप्सूल/ओरिएंटेशन कैप्सूल के आयोजन के बाद पूर्ण की जाएगी।

ii. प्रशिक्षण संस्था समस्त प्रशिक्षणार्थियों का एनआईयूए/एमओयूडी/सीबीयूडी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर डेटाबेस तैयार करेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षणार्थी की प्रोफाइल, उनके वर्तमान कार्य का विवरण, उनके सुपरविजन अधिकारी का नाम व पद, उनके वर्तमान ज्ञान व दक्षताओं का स्तर, अनुच्छेद 9.बी (i) में उल्लेखित विभाग विशेष पर आधारित कैप्सूलों के लिए अपेक्षित विशिष्ट ज्ञान व अपेक्षित प्रशिक्षण विषय शामिल हैं।

iii. अधिसूचित प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थियों के प्रोफाइल व उनकी जरूरतों के अनुसार विभाग विशेष पर आधारित कैप्सूलों हेतु प्रशिक्षण सामग्री तथा शिक्षण उद्देश्य तैयार करना तथा एनआईयूए के परामर्श के बाद उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। (ध्यान रहे कि एनआईयूए समेकित प्रशिक्षण कार्यसूची के आधार पर सत्र-वार प्रशिक्षण परिणामों की मूल्यांकन पद्धति तैयार करेगा जिसे प्रशिक्षण शुरू होने वाली तिमाही से पहले वाली तिमाही में एनआईयूए के साथ साझा किया जाना चाहिए।)

(ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन

i. राज्य द्वारा निर्धारित समस्त पात्र प्रतिभागियों (एक बैच में अधिकतम 30 प्रतिभागी) के लिए अमृत मिशन के अंतिर्गत क्षमता निर्माण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए निम्न समग्र प्रशिक्षण रणनीति अपनाए जाने का प्रस्ताव है:

प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए कैप्सूल प्रशिक्षण*	संख्या और अवधि
ओरिएंटेशन कैप्सूल जिसमें एनआईयूए द्वारा निर्दिष्ट विषय शामिल हों	3 दिन की अवधि का 1 कार्यक्रम
प्रतिभागियों की विशेष जरूरतों के अनुसार विभाग-वार कैप्सूल	3 दिन की अवधि के 2 कार्यक्रम
नोट: प्रत्येक प्रतिभागी 1 वर्ष में 3 दिनों के कुल 3 प्रशिक्षण कैप्सूलों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।	

ii. प्रत्येक प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों (समस्त तीन कैप्सूलों) के मध्य तीन से चार कैलेंडर माहों का अंतर होना चाहिए।

iii. राज्य द्वारा निर्धारित व निर्देशों के अनुसार राज्य के प्रत्येक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए मिशन अवधि के दौरान एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। प्रत्येक जागरूकता कार्यक्रम में राज्य के शहरी क्षेत्र के लिए समन्वयन तथा माडलों के लिए प्रदर्शन यात्राएं तथा राज्य के भीतर या अन्य राज्य में संबद्ध परियोजनाओं के रूप में सर्वश्रेष्ठ गतिविधियां शामिल की जाएंगी। अधिक संख्या में चुने हुए प्रतिनिधियों वाले राज्य अनेक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। मॉडल तथा सर्वश्रेष्ठ गतिविधियां प्रशिक्षण संस्था द्वारा राज्य व एनआईयूए के सहयोग से चिन्हित की जाएंगी। जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित अभिलेखन एनआईयूए द्वारा प्रदान किए गए मानक प्रारूप के अनुरूप किया जाएगा।

(ग) मूल्यांकन एवं प्रशिक्षणोपरांत सहयोग

i. प्रशिक्षण संस्था प्रत्येक कैप्सूल की समाप्ति पर शिक्षणार्थियों से प्रशिक्षणोपरांत टिप्पणी प्राप्त करेगी, जो एनआईयूए द्वारा निर्धारित प्रारूप व पद्धति के अनुरूप होगी। इस प्रारूप में अन्य चीजों के साथ-साथ निम्न पक्ष शामिल होंगे:

   1. प्रशिक्षण सुविधाओं, शिक्षण, पाठ्यक्रम तथा संकाय की गुणवत्ता तथा उपयुक्तता के बारे में टिप्पणी।
   2. प्रत्येक सत्र के बाद प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण परिणामों का स्व-मूल्यांकन।
   3. 3-4 माह की कार्य अवधि पूर्ण करने के बाद तथा अगले कैप्सूल की शुरुआत से पहले प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण परिणामों का स्व-मूल्यांकन।

ii. प्रशिक्षणार्थियों तथा एनआईयूए से समय-समय पर प्राप्त टिप्पणी के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा संबंधित अन्य गतिविधियों में उपयुक्त बदलाव व सुधार।

iii. प्रत्येक कैप्सूल के मध्य वाली अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के सवालों के जवाब देने तथा कार्य से संबंधित ज्ञान व दक्षताओं की सुदृढ़ता के लिए के प्रत्येक बैच के लिए कोच (संकाय के प्रशिक्षण प्रदान करने वाले सदस्य) की नियुक्ति करना।

iv. यूएलबी के प्रशिक्षणार्थियों के प्रत्येक समूह के लिए राज्य के परामर्श से यूएलबी के निर्धारित समूह को कार्य से संबंधित ज्ञान व कौशल के साथ-साथ कार्मिक/कैरियर विकास के विषय में समग्र दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए ऐसे मेंटर की नियुक्ति

करना जो केन्द्रीय, राजकीय या म्यूनिसिपल सेवा से सेवानिवृत्त हुए हों।

v. अगला कैप्सूल आरंभ होने से पूर्व सुपरवाइजर से उनके अधीन कार्यरत प्रशिक्षणार्थियों की एनआईयूए के परामर्श द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करना।

vi. यदि प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थियों के ज्ञान एवं कौशल में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं दिखता है तो प्रशिक्षण माड्यूलों, प्रशिक्षण विधियों तथा प्रशिक्षकों में बदलाव के लिए निजी खर्च पर एक अतिरिक्त ब्रिज/रेमिडिएशन कैप्सूल का आयोजन करना। एनआईयूए मूल्यांकन एवं निगरानी के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों के ज्ञान एवं कौशल को चिन्हित करने तथा उसे रेखांकित करते हुए न्यूनतम संभव समय में प्रशिक्षण संस्था के साथ साझा करने का प्रयास करेगा।

(घ) रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

i. राज्य तथा एनआईयूए को पारस्परिक रूप से सहमत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) तथा उपरोक्त अनुच्छेद 9.ए (ii) में उल्लेखित डेटाबेस के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों की त्रैमासिक रिपोर्ट सौंपना। डेटा में समय सीमा तथा अनुच्छेद 14 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार समस्त आवश्यक डेटा शामिल होना चाहिए।

ii. राज्य तथा एनआईयूए को कैप्सूल-वार तथा प्रतिभागी-वार विवरण, क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं व कार्य योजनाओं में होने वाले बदलावों, यदि कोई हों, के संबंध में वार्षिक प्रशिक्षण की रिपोर्ट इस प्रकार से सौंपना जिसे क्रमागत वर्ष के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) में निगमित किया जा सके।

iii. राज्य तथा एनआईयूए द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित मांगी गई कोई अतिरिक्त सूचना अनुरोध के 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराना।

(ङ) अन्य जिम्मेदारियां

i. क्लासरूम प्रशिक्षण के तीन कैप्सूल पूर्ण करने वाले समस्त प्रशिक्षणार्थियों के लिए यूएलबी में माडलों की अध्ययन विजिट तथा लागू की गई या की जा रही सर्वश्रेष्ठ गतिविधियों का आयोजन करना। प्रत्येक अध्ययन विजिट के लिए स्थल का चयन राज्य तथा एनआईयूए के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।

ii. राज्य, एमओयूडी, सीबीयूडी, तथा एनआईयूए प्रतिस्पर्धी आधार पर विदेशी स्थलों पर प्रदर्शनी यात्राएं कराने के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने हेतु दानताओं तथा द्विपक्षीय व बहुपक्षीय संगठनों के साथ समन्वयन स्थापित करेगा जिससे श्रेष्ठ

शिक्षण परिणाम व उपलब्धियों वाले प्रशिक्षणार्थी घरेलू प्रदर्शन के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों में भाग ले सकें। ऐसी प्रदर्शनी यात्राओं के माध्यम से वे अन्य देशों में शहरी प्रबंधन से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

iii. राज्य, एमओयूडी, सीबीयूडी, तथा एनआईयूए प्रशिक्षण संस्था को देश के बाहर यात्राओं के लिए प्रतिष्ठित व संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ संस्थान/संगठन के साथ साझेदारी विकसित करने में सहायता प्रदान करेंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय साझेदार प्रदर्शन यात्राओं के दौरान विभिन्न स्थलों के भ्रमण के साथ-साथ अध्ययनकक्ष (क्लासरूम) प्रशिक्षण का बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर सकें।

iv. राज्य/एनआईयूए के अनुरोध के आधार पर राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों/परामर्शी सेवाओं का आवधिक रूप से, स्वायत्त रूप से अथवा एनआईयूए के सहयोग से यूएलबी में अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त ज्ञान व कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक क्षेत्र/विषय को समुचित रूप से समाहित करने हेतु डिजाइन तैयार करना व आयोजित करना। यह अमृत मिशन के दिशानिर्देशों के पेज 66, अनुलग्नक 7, पैरा 9 के अनुपालन में किया जाएगा।

v. एनआईयूए द्वारा समय-समय पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कार्यशालाओं में सहभाग करना।

vi. एनआईयूए की टीमों अथवा एनआईयूए द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण के उपरांत निगरानी व मूल्यांकन हेतु नियुक्त टीमों/व्यक्तियों का सहयोग करना।

10. राज्य की निम्न हेतु सहमति है:

क. अमृत मिशन के अंतर्गत गठित राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (यहां से आगे एसएमएमयू लिखा जाएगा) के माध्यम से प्रशिक्षण संस्था को प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने तथा पर्याप्त सहभगिता सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थियों का समयबद्ध नामांकन विवरण उपलब्ध कराना।

ख. प्रशिक्षण संस्था को एमओयू के अंतर्गत आवंटित विभिन्न कार्यों के संचालन हेतु एसएमएमयू के माध्यम से सहयोग प्रदान करना।

ग. प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम तथा अन्य संबंधित गतिविधियों, जैसे प्रदर्शन यात्राओं, में शामिल प्रशिक्षण संस्था तथा अन्य सभी संस्थाओं/संगठनों/एजेंसियों को

समयबद्ध भुगतान में सहयोग करना।

घ. सुनिश्चित करना कि एसएमएमयू अनुच्छेद 9.डी(i) में उल्लेख के अनुसार एमआईएस में प्रविष्टि के लिए नियमित रूप से डेटाबेस को अपडेट करे तथा समेकित त्रैमासिक व वार्षिक रिपोर्ट एनआईयूए को सौंपे।

11. **एमओयू की अवधि**: एमओयू तब तक प्रभावी रहेगा या आस्तित्व में रहेगा जब तक कि पक्षों द्वारा मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन में या पक्षों द्वारा पारस्परिक लिखित सहमति के आधार पर निरस्त न कर दिया जाए (अमृत के दिशा निर्देशों के अनुसार)।

12. **गैर-अनन्यता**: इस एमओयू में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी पक्ष को इसके समकक्ष एमओयू में प्रविष्ट करने से रोके, वो चाहे राज्य सरकार हो या प्रशिक्षण संस्था।

13. **वित्तीय शर्तें**:

क. प्रशिक्षण कार्यक्रमों, राष्ट्रीय प्रदर्शन यात्राओं तथा कार्यशालाओं के वित्तपोषण हेतु वित्तीय शर्तें व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीसीबीपी), एमओयूडी के अप्रैल 2013, पृ. ll एवं 18, टूलकिट के अंतर्गत स्वीकार्य दरें (jnnurm.nic.in पर देखी जा सकती हैं)।

ख. भुगतान प्रशिक्षण आउटपुट पर निर्भर करेंगे तथा त्रैमासिक आधार पर किए जाएंगे। हालांकि, उपरोक्त अनुच्छेद 9. सी(vi) में उल्लेख के आधार पर, यदि प्रशिक्षण परिणाम पूर्ण रूप से प्राप्त किए गए हैं तो प्रशिक्षण संस्था को एक अतिरिक्त/सुधारात्मक कैप्सूल आयोजित करना होगा।

ग. प्रशिक्षण संस्था अपने बिल परियोजना निदेशक, सीबीयूडी परियोजना को यूएलबी/राज्य की स्वीकृति के साथ त्रैमासिक आधार पर भेज सकते हैं।

घ. समस्त बिलों में निम्न विवरण होना चाहिए:

i. उस प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि, स्थल, प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों का विवरण (नाम, पद, यूएलबी तथा संपर्क विवरण;

ii. प्रत्येक प्रशिक्षण की लागत (सीसीबीपी के अंतर्गत स्वीकृत मदों के अनुसार)

ङ. सीसीबीपी टूलकिट के अनुसार लागू शर्तें निम्न हैं:

i. प्रशिक्षण कार्यक्रम

सं.	लागत	आवासीय (भारतीय रुपए)		गैर आवासीय (भारतीय रुपए)	
		ईआर एवं वरिष्ठ यूएलबी अधिकारी	अन्य यूएलबी स्टाफ	ईआर एवं वरिष्ठ यूएलबी अधिकारी	अन्य यूएलबी स्टाफ
1	अस्थायी आवास और/या बोर्डिंग प्रति व्यक्ति/दिन	2700	1700	300	300
2	पठन सामग्री और प्रशिक्षण किट प्रति व्यक्ति	700	700	700	700
3	मानदेय प्रति सत्र	1100	1100	1100	1100
4	अतिथि संकाय के लिए टीए* प्रति कार्यक्रम	13750	13750	13750	13750
5	प्रशिक्षण हॉल प्रभार प्रति दिन	5000	5000	5000	5000
6	साइट यात्रा/स्थानीय परिवहन प्रति कार्यक्रम	10000	10000	10000	10000
7	संस्थागत प्रभार प्रति दिन	5500	5500	5500	5500
8	फोटोकॉपी, प्रलेखन और इंटरनेट प्रभार प्रति दिन	3300	3300	3300	3300
9	प्रशासनिक प्रभार	कुल लागत का 10%	कुल लागत का 10%	कुल लागत का 10%	कुल लागत का 10%
नोटः *यह कार्यक्रम कराने वाले प्रशिक्षण संस्थान के बाहर से आमंत्रित किए जाने वाले संकाय/संसाधन व्यक्तिय के लिए लागू है। इसे पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए रु. 15000/- प्रति व्यक्ति प्रति कार्यक्रम तक बढ़ाया जा सकता है।					

ii. **कोच:** कोच की लागत प्रशिक्षण कैप्सूलों की लागत में शामिल होगी।

iii. **मेंटर:** मेंटर की लागत राज्य द्वार वहन की जाएगी।

iv. राज्य/राष्ट्रीय प्रदर्शन यात्राएं:

1. राज्य सरकार के टीए/डीए नियमों के अनुसार यात्रा लागत तथा संबंधित राज्य सरकार के सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यक्रम निगरानी समिति द्वारा निर्धारित दैनिक भत्ता।
2. प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रदर्शन यात्राओं से संबंधित लागत राज्य द्वारा वहन की जाएगी।

v. कार्यशालाएं/संगोष्ठी/परामर्श (एमओयूडी द्वारा विशिष्ट प्रस्तावों की स्वीकृति पर):

1. इस गतिविधि के लिए अधिकतम समर्थन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

राष्ट्रीय कार्यशाला	प्रति कार्यक्रम भारतीय रुपये 5 लाख
क्षेत्रीय कार्यशाला	प्रति कार्यक्रम भारतीय रुपये 3 लाख
राज्य स्तरीय कार्यशाला	प्रति कार्यक्रम भारतीय रुपये 2 लाख

2. बाहरी संसाधन व्यक्ति/विशेषज्ञ: रू. 50,000/- प्रति कार्यशाला जिसमें यात्रा लागत, रहने, खाने तथा अन्य भत्ते शामिल हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए तथा विशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों के लिए यह धनराशि रु. 75,000/- होगी।

vi. **अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन यात्राएं:** अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन यात्राओं के लिए भुगतान प्रत्येक अध्ययन यात्रा के लिए प्रस्ताव के आधार पर तथा एमओयूडी द्वारा स्वीकृति के आधार पर किया जाएगा।

14. अपेक्षित समय सीमा:

मील के पत्थर	समय सीमा
समस्त प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रथम कैप्सूल संचालन के लिए प्रशिक्षण योजना	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के 15 दिनों के भीतर
समस्त प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थियों के लिए 2 कैप्सूल संचालन के लिए प्रशिक्षण योजना	सभी नियुक्त प्रशिक्षुओं को पहले कैप्सूल के सूचीबद्ध के 15 दिनों के भीतर

प्रत्येक कैप्सूल के लिए एनआईयूए के परामर्श से प्रशिक्षण सामग्री तथा शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण	कैप्सूल के वास्तविक सूचीबद्ध से पहले
नियुक्त प्रशिक्षुओं को कैप्सूल 1 से सूचीबद्ध	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के 3 महीने के भीतर
नियुक्त प्रशिक्षुओं को कैप्सूल 2 से सूचीबद्ध	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के 7 महीनों के भीतर
नियुक्त प्रशिक्षुओं को कैप्सूल 3 से सूचीबद्ध	11 महीनों के भीतर
सभी नियुक्त प्रशिक्षुओं के लिए प्रदर्शन (एक्सपोजर) विजिट	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के 12 महीने के भीतर
ब्रिज/रेमेडियल कैप्सूल 4 का प्रतिपादन, यदि आवश्यक हो	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के 12 महीने के भीतर
नियुक्त कोच द्वारा संपर्क कार्यक्रम	पहले कैप्सूल के बाद प्रत्येक महीने
क्यूआईएस प्रारूप में प्रगति का प्रस्तुतीकरण	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद प्रत्येक 3 महीने
वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के 13 महीने के भीतर
**सभी कदम वार्षिक आधार पर दोहराए जाएंगे*	

कृते एवं की ओर से **राज्य**	कृते एवं की ओर से **प्रशिक्षण भागीदार**
हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर	हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर
नाम	नाम
पदनाम	पदनाम